

विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2017-18(01.06.2017 से 31.03.2018) तक के लिए घोषित आबकारी नीति के अन्तर्गत मदिरा दुकानों के प्रथम चरण के व्यवस्थापन हेतु जनपद अल्मोडा की निम्नांकित मदिरा दुकानों हेतु कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं, सम्बन्धित दुकानों व उनके राजस्व का विवरण निम्नवत् है:-

क्र० सं०	दुकान का नाम	दुकान का प्रकार	दिनांक 01.06.2017 से 31.03.2018 तक के लिए निर्धारित राजस्व			
			लाइसेंस फीस	वार्षिक अधिभार	कुल राजस्व	धरोहर धनराशि
1	बाडेछीना	देशी/विदेशी मदिरा मिश्रित	1356000	15594121	16950121	339003
2	गनाई	विदेशी मदिरा	2018000	23209550	25227550	504551
3	सोमेश्वर	विदेशी मदिरा	2181000	25086519	27267519	545351
4	पनुवानौला	देशी मदिरा	1212000	13943292	15155292	303106
5	बसौली	देशी मदिरा	843000	9695520	10538520	210771
6	द्वाराहाट	देशी मदिरा	1439000	16545320	17984320	359687
7	गनाई	देशी मदिरा	1007000	11584231	12591231	251825
8	सोमेश्वर	देशी मदिरा	2581000	29677314	32258314	645167
9	मौलेखाल	देशी मदिरा	812000	9333400	10145400	202908


उपरोक्त मदिरा दुकानों को द्वितीय चरण में व्यवस्थापित करने हेतु निर्धारित राजस्व पर संचालन के इच्छुक आवेदकों से निर्धारित प्रारूप पर व्यक्तिगत पहचान पत्र तथा धरोहर धनराशि के बैंक ड्राफ्ट के साथ देशी/विदेशी मदिरा मिश्रित व विदेशी मदिरा दुकान हेतु रू० 25,000/- तथा देशी मदिरा दुकान हेतु रू० 22,000/- का बैंक ड्राफ्ट, जो जिला आबकारी अधिकारी, अल्मोडा के पक्ष में देय हों, के साथ दिनांक 31.05.2017 अपराह्न 2:00 बजे तक आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। प्राप्त आवेदन पत्रों के क्रम में उसी दिन साँय 5:00 बजे से जिला अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा दुकानों के आवंटन की कार्यवाही की जायेगी। उक्त दुकानों के सम्बन्ध में अन्य सूचनायें सूचना जिला आबकारी अधिकारी, अल्मोडा/क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षकों के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती हैं।

जिला आबकारी अधिकारी,
अल्मोडा।

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, अल्मोडा।

संख्या 126 / पाँच-आब/व्यवस्थापन/2017/दिनांक:मई 27, 2017
प्रतिलिपि -

1. जिला अधिकारी, अल्मोडा को अवलोकनार्थ।
2. सम्पादक दैनिक जागरण/अमर उजाला को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त विज्ञप्ति को अपने लोकप्रिय समाचार पत्र में न्यूनतम स्थान में दिनांक 28.05.2017 को ही प्रकाशित होने वाले संस्करण में प्रकाशित कर बिल 02 प्रतियों में भुगतान हेतु इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
3. उप आबकारी आयुक्त, आई0टी0, मुख्यालय, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को जन सामान्य के अवलोकनार्थ विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
4. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, अल्मोडा को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को जन सामान्य के अवलोकनार्थ जनपद अल्मोडा की बेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
5. सूचना पट जिला कार्यालय अल्मोडा/सूचना पट समस्त तहसीलें जनपद अल्मोडा पर जन सामान्य के अवलोकनार्थ।


जिला आबकारी अधिकारी,
अल्मोडा।